REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072025-264427 CG-DL-E-07072025-264427

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2929] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947 No. 2929] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

## वस्त्र मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2025

**का.आ. 2996(अ).**— केन्द्र सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात्, जिसकी यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, कपास गांठें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कपास गांठें (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगा।

 कपास गांठें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 के उप- पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-

# "(2) यह तारीख 27 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होगा।"।

[सं. 1/5/2018-फाइबर I]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 948 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् संख्यांक का. आ. 3557 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2023, संख्यांक का. आ. 3830 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2023 तथा संख्यांक का. आ. 3469 (अ (अ), तारीख 13 अगस्त, 2024 द्वारा संशोधित किया गया।

### **MINISTRY OF TEXTILES**

### ORDER

### New Delhi, the 3 July, 2025

**S.O. 2996(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order to amend the Cotton Bales (Quality Control) Order, 2023, namely:-

1. (1) This Order may be called the Cotton Bales (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Cotton Bales (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) It shall come into force on the 27<sup>th</sup> day of August, 2026.".

[F. No. 1/5/2018-Fibre I]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 948 (E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2023 and subsequently amended vide notification number S.O. 3557 (E), dated 7<sup>th</sup> August, 2023, notification number S.O. 3830(E) dated 28<sup>th</sup> August, 2023 and notification number S.O. 3469(E) dated 13<sup>th</sup> August, 2024.